# मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-18

## संक्षिप्त कार्य विवरण

### पत्रक भाग-एक

**शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2005 (फाल्गुन 20, 1926)**

**विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

## 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में 19 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये तथा द्वितीय चक्र में किसी भी प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 126 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 133 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नोत्तर सूची में से सदस्यों के नाम पुकारे जाने के बाद भी प्रश्नोत्तर के लिए नियत समय समाप्त नहीं हुआ फलतः कार्यसूची के अनुसार अगला विषय लिया गया।

## 2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री दरबू सिंह उईके, सदस्य की मंडला जिले के ग्राम चिकनई भाड़िया में ठेकेदारों द्वारा अवैध डोलामाईट पत्थर खुदाई से मकानों को क्षति होने,

(2) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले की तहसील श्योपुर एवं कराहल में पेयजल संकट होने,

(3) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की कटनी जिले में नगर निगम सीमा अन्तर्गत पशु मालिकों द्वारा दुग्ध उत्पादन कर पशुओं को लावारिस छोड़े जाने,

(4) पंडित रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के ग्रामीणों को मिट्टी का तेल न मिलने,

(5) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य की संचालनालय आदिम जाति क्षेत्र विकास योजना मध्यप्रदेश में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के बावजूद भी लागू नहीं करने,

(6) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के जनपद पंचायत ग्राम बरहा में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत किश्तों का निवारण न किये जाने,

(7) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में भूमि स्वामी की भूमि पर सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण करने,

(8) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण के संबंध में,

(9) श्री कमल किशोर पटेल, सदस्य की हरदा जिले में प्रायवेट बस एवं टैक्सी मालिकों द्वारा अधिक किराया वसूले जाने,

(10) श्री किशोरीलाल वर्मा, सदस्य की मंडला जिले के छैगांव माखन विकासखंड के ग्राम मालगांव में मुख्य कार्यपालन यंत्री द्वारा सम्मेलन के नाम पर एकत्रित राशि का दुरूपयोग होने,

(11) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की प्रदेश के सर्वाधिक गेंहू उत्पादक जोन हरदा होशंगाबाद के खेतों में गेहूं के फसल में इल्लियों का प्रकोप होने,

(12) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की भोपाल के राजधानी प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण करने,

(13) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य की बालाघाट जिले के वरासिवानी ग्राम लोहारा रेकड़ी के कुएं में लाश पाये जाने,

(14) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य की ग्राम खनेता जिला भिण्ड तहसील गोहद क्षीमका से एण्डौरी तक रोड की हालत जर्जर होने,

(15) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की शासकीय महाविद्यालय के लहार जिला भिण्ड में विभिन्न विषयों के रिक्त पद होने से अध्यापन कार्य प्रभावित होने,

(16) श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों में हायर सेकेण्ड्री व हाई स्कूल न खोले जाने,

(17) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य की मंडला जिले के विकासखंड नारायणगंज ग्राम पंचायत चकदेही से पुल निर्माण होने,

(18) श्री रामदास उईके, सदस्य की भोपाल जिले के विकास खंड फंदा के ग्राम नाथू बरखेड़ा में मुरम ठेकेदार द्वारा उत्खनन किये जाने,

(19) श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य की सीहोर नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत पांच माह से कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने,

(20) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिला मुख्यालय गांव बड़ोवर में मंदिर के पुजारी की हत्या किये जाने,

(21) श्री पंचूलाल प्रजापति, सदस्य की रीवा जिले के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के इटह जोधपुर नटकुल्ह एवं मडना रोड़ों का डामरीकरण कराये जाने,

(22) श्री विक्रम सिंह उर्फ नातीराजा, सदस्य की जिला छतरपुर विकास खंड राजनगर पंचायत में शासकीय योजनाओं में घोर अनियमितताएं एवं भष्टाचार होने,

(23) श्री सोबरन सिंह (बाबूजी), सदस्य की जबलपुर जिले के शहपुरा मार्ग पर पुल निर्माण न होने से नागरिक परेशान होने,

(24) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की सतना जिले के मैहर विधानसभा क्षेत्र में संविदा शिक्षकों को वेतन का भुगतान न होने,

(25) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य, की होशंगाबाद जिले के बांद्राभान में तवा नदी के कटाव से किसानों की की चली गई भूमि के एवज में भूमि का आवंटन कर कब्जा दिलाये जाने, तथा

(26) युवराज तुकोजीराव पवार, सदस्य की देवास के सहायक पंजीयक एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं के विरूद्ध अवैधानिक व नियम विरूद्ध कार्य करने की शिकायेते होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

(श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार किये जाने संबंधी मामले पर चर्चा कराने की मांग करते हुए गर्भगृह में आये तथा नारेबाजी करते रहे तथा कुछ समय पश्चात् सदन से बहिर्गमन किया गया)

## 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री रुस्तम सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का 46 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक, वित्तीय वर्ष 2002-2003,

(2) श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री ऊर्जा ने

(क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004, तथा

(ख) विद्युत अधिनियम,2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(i) क्रमांक 394/एमपीईआरसी/2005, दिनांक 14 फरवरी, 2005,

(ii) क्रमांक 1902-विनिआ-04, दिनांक 13 जुलाई, 2004 ; तथा

(iii) शुद्धि पत्र क्रमांक 3004 मप्रवनिआ-2004, दिनांक 1 नवम्बर, 2004,

पटल पर रखे।

## 4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज की कार्य सूची में 23 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम ४ ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित

मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) सर्वश्री आरिफ अकील, मनमोहन शाह बट्टी, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने कटनी में क्षेत्रीय विधायक पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा "कटनी में क्षेत्रीय विधायक पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किये जाने संबंधी" ध्यानाकर्षण के मामले पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

(डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, डॉ. सुनीलम् सर्वश्री रामलखन शर्मा, विजय बहादुर सिंह बुन्देला, सदस्य अपनी-अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आए तथा कुछ समय पश्चात् वापस अपने आसन पर चले गये)

(2) श्री रामनिवास रावत, डॉ. नरोत्तम मिश्रा. श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने प्रदेश के अनेक जिलों में ओलावृष्टि से फसलों की क्षति होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री दिलीप भटेरे, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य तथा मार्कसवादी कम्युनिष्ट पार्टी के सदस्य श्री रामलखन शर्मा द्वारा "प्रदेश के अनेक जिलों में ओलावृष्टि से फसलों को क्षति होने" संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर राजस्व मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.**

(3) सर्वश्री बृजेन्द्र तिवारी, गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने प्रदेश के चंबल संभाग के जिलों में सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य प्रारंभ न होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री दिलीप भटेरे, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री रामदयाल प्रभाकर, सदस्य ने दतिया जिले के गन्ना उत्पादक किसानों को डबरा शुगर मिल द्वारा गन्ने की राशि का भुगतान न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

## सदन में पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में नकली घी का कारोबार चलने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(6) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की बुरहानपुर जिले में आदिवासियों को वन भूमि के पट्टे न दिये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(7) श्री के.डी. देशमुख, सदस्य की बालाघाट जिले में अल्पवर्षा के कारण धान की फसल को क्षति होने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(8) श्री हरीवल्लभ शुक्ला, सदस्य की शिवपुरी जिले के नागदा बांध गजोरा, पिछोर में अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(9) सर्वश्री अजय सिंह "राहुल भैया", आरिफ अकील, सदस्य की प्रदेश के कई जिलों में मिट्टी के तेल की कालाबाजारी किये जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य।

(10) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में मारपुरा डडूआ के निकट नहर फूटने से फसल की क्षति होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(11) सर्वश्री बोधसिंह भगत, के.डी. देशमुख, सदस्य की बालाघाट जिले की खैरलांजी एवं कटंगी तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करने के बावजूद सूखा राहत कार्य प्रारंभ न किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(12) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की दतिया जिले में चार व्यक्तियों का अपहरण होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(13) युवराज तुकोजीराव पवार, सदस्य की देवास जिले के पहाड़ शंकरगढ़ के समीप भूमि पर अवैध उत्खनन किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, खनिज साधन का वक्तव्य।

(14) सर्वश्री आरिफ अकील, राजेश पटेल, सदस्य की होशंगाबाद जिले के पवारखेड़ा स्थित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के केशियर के साथ लूटपाट करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार न किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(15) सर्वश्री आरिफ अकील, राजेश पटेल, सदस्य की भोपाल जिले के ग्राम गेहूंखेड़ा में पुलिस अधिकारी के निवास पर हमला करने वालों को गिरफ्तार न किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(16) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल नगर स्थित विद्यानगर में महिला की हत्या करने वाले हत्यारों को गिरफ्तार न किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(17) डॉ. सुनीलम्, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री राजेश पटेल, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के पांढुर्णा एवं सौंसर क्षेत्र में हाईब्रीड कपास उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य न मिलने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य।

(18) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की श्योपुर जिले के ग्राम पातालगढ़ में अज्ञात बीमारी से बच्चों की मृत्यु होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(19) श्री मुन्ना सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के मेहगांव स्थित दुग्धशीत केन्द्र से प्रदूषित पानी बहाये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री आवास एवं पर्यावरण का वक्तव्य।

(20) श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य की भोपाल स्थित बड़े एवं छोटे तालाबों में सीवेज का पानी मिलने से प्रदूषण होने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(21) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद जिले के अनेक ग्रामों में रेत का अवैध उत्खनन होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री खनिज साधन का वक्तव्य।

(22) श्री छोटेलाल सरावगी "खुद्दी भैया", सदस्य की शहडोल जिले की सोहागपुर तहसील के ग्रामों में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि अन्य लोगों के नाम किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(23) सर्वश्री ध्यानेन्द्र सिंह, बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य की ग्वालियर जिले के गांवों में हैण्ड पंप खराब होने से पेयजल संकट उत्पन्न होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का वक्तव्य।

## 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री रामदास उईके, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम सतनूर के पास नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,
(ख) ग्राम बुधवारा में तालाब का निर्माण कराये जाने,
(ग) ग्राम सजवा में स्टाप डेम बनाये जाने,
(घ) वनग्राम महलारी में स्टाप डेम बनाये जाने,
(ङ) ग्राम कन्हरगांव, मोरडोगरी-खुर्द, घानाउमरी एवं लावाघोघरी में विद्युत उप-केन्द्र स्थापित किये जाने,
(च) ग्राम खंसवाड़ा से मानकादेही खुर्द तक डब्ल्यू.बी.एम. रोड बनाये जाने,
(छ) ग्राम जंबाकिराड़ी में माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कराये जाने,
(ज) ग्राम गुजरघाट के पास नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,
(झ ) ग्राम डोडिया से हीरावाड़ी तक सडक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ञ) ग्राम हीरावाड़ी से धगड़िया तक डब्ल्यू.बी.एम. रोड बनाये जाने, तथा
(ट) ग्राम टोटकादेई में प्राथमिक शाला खोले जाने,

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के-

(क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊगंज को सर्व सुविधायुक्त 100 बिस्तर का अस्पताल बनाये जाने,
(ख) गोकुल ग्राम लासा एवं कैलाशपुर पटेहरा में स्थित विद्यालयों का हायर सेकेण्डरी तक उन्नयन कराये जाने,

(ग) ग्राम पिपराही में हेल्थ सेन्टर संचालित कराने, तथा

(घ) ग्राम तेंदुआ बैलान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(3) श्री बृजेन्द्र प्रताप, सदस्य की पन्ना जिले के -

(क) विकास खंड शाहनगर में कृषि उपज मंडी की स्थापना कराये जाने,

(ख) ग्राम कोनी से जैतपुर तक सड़क बनाये जाने, तथा

(ग) विकासखंड पवई में कृषि उपज मंडी की स्थापना कराये जाने,

(4) श्री पारस जैन, सदस्य की उज्जैन जिले के -

(क) इन्द्रा नगर में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(ख) हीरा मिल की चाल से फ्रीगंज स्थित जीरो पाइंट तक पुल निर्माण कराये जाने, तथा

(ग) आगर रोड से पिंगलेश्वर होते हुए कानीपुरा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(5) श्री रविन्द्र सुका महाजन, सदस्य की बुरहानपुर जिले के -

(क) ग्राम सावली से खकनार तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) ग्राम पांढरी से तुकईथड तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ग) ग्राम दैयत से परेढ़ा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(घ) ग्राम शेखपुरा व अन्य ग्रामों में विद्युत लाईन एवं ट्रांसफार्मर लगाये जाने,

(ङ) ग्राम नागझिरी से डोईफोडिया तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(च) ग्राम लोखंडिया से डोईफोडिया तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(छ) ग्राम ताजनापुर से डोईफोडिया तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ज) शाहपुर क्षेत्र में अमरावती नदी पर पुल बनाये जाने,

(झ) ग्राम सिरपुर में उतावली नदी पर पुल निर्माण कराये जाने, तथा

(ञ) ग्राम नाचनखेड़ा से शाहपुर तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(6) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य की मंदसौर जिले के ग्राम खेड़ी से सिवना पुल तक सड़क बनाये जाने,

(7) श्री ताराचन्द गोयल, सदस्य की उज्जैन जिले के तराना से बरखेड़ा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(8) श्री जुगुल किशोर, सदस्य की सतना जिले के -

(क) ग्राम भुमकहर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(ख) ग्राम खाम्हा खूजा से रैगांव तक पहुंच मार्ग एवं भुमकहर नाले पर पुल बनाये जाने, तथा

(ग) भुमकहर स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने एवं स्कूल भवन का निर्माण कराये जाने,

(9) श्री रघुनाथ सिंह मालवीय, सदस्य की सीहोर जिले के -

(क) ग्राम गवाखेड़ा से इंदौर-भोपाल राष्ट्रीय राज मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम छापर में कन्या माध्यमिक शाला का निर्माण कराये जाने, तथा

(ग) ग्राम छापर में बने बांध से नहर निकाले जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

## 6. वक्तव्य

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री, खनिज साधन ने दिनांक 12 जुलाई, 2004 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्रमांक 2039) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

## 7. वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

| | |
|---|---|
| अनुदान संख्या - 44 | उच्च शिक्षा के लिए तीन सौ चवालीस करोड़, चालीस लाख, इक्यानवे हजार रूपये, |
| अनुदान संख्या - 47 | तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए एक सौ बाईस करोड़, सोलह लाख, तीस हजार रूपये, |
| अनुदान संख्या - 55 | महिला एवं बाल विकास के लिए तीन सौ बानवे करोड़, तैतालीस लाख, अठारह हजार रूपये, तथा |
| अनुदान संख्या - 87 | तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए चौदह करोड़, छियासी लाख रूपये, |

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

| **मांग संख्या** | **कटौती प्रस्ताव क्रमांक** |
|---|---|
| मांग संख्या - 44 | 2 |

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्रीमती जमुना देवा, नेता प्रतिपक्ष

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

(2) श्रीमती सुधा जैन

(3) डॉ. सुनीलम्

**सभापति महोदया (श्रीमती सुधा जैन) पीठासीन हुई.**

(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(6) श्रीमती संध्या सुमन राय
(7) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(8) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
(9) श्रीमती सरोज बच्चन नायक

श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## 8. सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 23 के अनुसार आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का दिवस है तथा बैठक के अन्तिम ढाई घण्टे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत है।

आज की कार्यसूची में उल्लिखित शासकीय विधि विषयक कार्य पूर्ण होने के बाद अशासकीय कार्य लिया जायेगा।

## 9. वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, आवास एवं पर्यावरण राज्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

| | |
|---|---|
| अनुदान संख्या - 21 | आवास एवं पर्यावरण के लिए अठासी करोड़, पन्द्रह लाख, तिरासी हजार रूपये, तथा |
| अनुदान संख्या - 73 | आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए एक हजार रूपये, |

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

| **मांग संख्या** | **कटौती प्रस्ताव क्रमांक** |
|---|---|
| मांग संख्या - 21 | 1,2,3 |
| मांग संख्या - 73 | 1 |

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(2) श्री शंकरलाल तिवारी
(3) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा
(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(5) श्री रामनिवास रावत

**सभापति महोदय (श्री इंद्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.**

(6) श्री दिलीप सिंह गुर्जर
(7) श्री आरिफ अकील
(8) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा

श्री राजेन्द्र शुक्ल, आवास एवं पर्यावरण राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, खनिज साधन, राज्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

| | |
|---|---|
| अनुदान संख्या - 25 | खनिज साधन के लिए दस करोड़, उनतालीस लाख, साठ हजार रूपये, |
| अनुदान संख्या - 26 | संस्कृति के लिए सत्रह करोड़, पैसठ लाख, तेरह हजार रूपये, |
| अनुदान संख्या - 35 | पुनर्वास के लिए तिरपन लाख, छः हजार रूपये, |
| अनुदान संख्या - 46 | विज्ञान एवं टेक्नॉलाजी के लिए तीन करोड़, इकतीस लाख, तिरासी हजार रूपये, |

अनुदान संख्या - 51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए दस करोड़, छब्बीस लाख, छिहत्तर हजार रूपये, तथा

अनुदान संख्या - 92 ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-संस्कृति के लिए दो हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

| **मांग संख्या** | **कटौती प्रस्ताव क्रमांक** |
|---|---|
| मांग संख्या - 25 | 2,3 |
| मांग संख्या - 26 | 1,2 |
| मांग संख्या - 35 | 1,3,4,6, |
| मांग संख्या - 46 | 1,2, |
| मांग संख्या - 51 | 2,3,4 |
| मांग संख्या - 92 | 1 |

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(2) श्री गिरिराज मण्डलोई
(3) श्री नारायण त्रिपाठी
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(6) पं. हरिचरण तिवारी
(7) श्री आरिफ अकील
(8) श्री गिरिजा शंकर शर्मा

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.**

(9) श्री राजेन्द्र सिंह (बुधनी)
(10) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुन्देला

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, खनिज साधन, राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) श्री रामपाल सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, राज्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

| | |
|---|---|
| अनुदान संख्या - 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए तीन सौ सतानवे करोड़, अठहत्तर लाख, इक्यानवे हजार रूपये, |

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

| **मांग संख्या** | **कटौती प्रस्ताव क्रमांक** |
|---|---|
| मांग संख्या - 20 | 2,6,7 |

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार
(2) श्री बृजमोहन धूत
(3) डॉ. सुनीलम्
(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) श्री बहादुर सिंह चौहान
(7) श्री गोविन्द सिंह पटेल

श्री रामपाल सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(5) श्री उमाशंकर गुप्ता, परिवहन राज्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

| | |
|---|---|
| अनुदान संख्या - 36 | परिवहन के लिए बयासी करोड़, पचास लाख, सात हजार रूपये, तथा |
| अनुदान संख्या - 72 | भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के लिए अट्ठाईस करोड़, इक्यासी लाख, पांच हजार रूपये, |

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव क्रमांक |
|---|---|
| मांग संख्या - 36 | 1,4 |
| मांग संख्या - 72 | 1,2,3 |

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री आरिफ अकील
(2) श्री बहादुर सिंह चौहान
(3) डॉ. सुनीलम्

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

श्री उमाशंकर गुप्ता, परिवहन राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(6) श्री मोती कश्यप, मछलीपालन, राज्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 16 मछलीपालन के लिए ग्यारह करोड़, बानवे लाख, सतानवे हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव क्रमांक |
|---|---|
| मांग संख्या - 16 | 1 |

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

श्री मोती कश्यप, मछलीपालन, राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा आसंदी के निर्देशानुसार अपना वक्तव्य पटल पर रखा।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## 10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2005 (क्रमांक 3 सन् 2005) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

## 11. अशासकीय संकल्प संबंधी सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि अशासकीय संकल्प के प्रस्तुतकर्ता सदस्यों से उनकी बातचीत हुई है और वे मेरी ओर सदन की भावनाओं से सहमत है कि इन्हें अगले शुक्रवार को लेलिया जाय।

8.05 बजे विधानसभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2005 (फाल्गुन 23, 1926) के पूर्वान्ह 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

**डॉ. ए.के.पयासी**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**